Statement

District wise details of Sales Outlets in Gujarat Gramodhyog Sales Outlets: 1995-96

s. No.	District	K.V.I. B.	K.V.I.C.
1.	Ahmedabad	114	1
2.	Amroli	5	—
3.	Kutch	26	—
4.	Khoda	11	—
5.	Gandhinagar	6	—
6.	Jamnngar	3	—
7.	Junagarh	4	—
8.	Dang	5	—
9.	Panchmahal	5	—
10.	Banaskantha	9	1
11.	Bharuch	1	—
12.	Bhavnagar	42	—
13.	Mohsana	46	—
14.	Rajkot	33	—
15.	Baroda	8	—
16.	Valsad	3	—
17.	Sabarkantha	37	—
18.	Surat	44	—
19.	Surendranagar	29	2
	TOTAL	431	4

Foreign proposals for setting up of industries in India

2348. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether some proposals have been received from abroad for setting up of industries in India;

(b) if so, the details thereof as on 31st December 1996, State-wise alongwith names of the countries;

(c) total investment proposed to be made therein; and

(d) the details of survey report regarding generation of employment opportunities as a result thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) A total number of 2303 proposals (Financial & Technical) involving foreign direct investment of Rs. 36146.80 Crores have been approved during the period from 1.1.96 to 31.12.96.

The details of such proposals viz. name and country of foreign collaborator, equity investment involved, item of manufacture/activity are published by the Indian Investment Centre as a supplement to the Monthly Newsletter and copies of these are regularly supplied to the Parliament Library.

(d) Details of employment generation with specific linkage to foreign direct investment is not centrally maintained. It is relevant that when foreign investment is made in the Industry, it would result in generation of employment opportunities.

मध्य प्रदेश के चार जिलों में राष्ट्रीय बल श्रम परियोजना संबंधी प्रस्ताव

2349. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ताः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश के अत्यधिक बीडी श्रमिक वाले चार जिलों अर्थात् सागर, दगोह, सतना और जबलपुर में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने 20 फरवरी, 1996 को श्रम मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है और उसमें प्रत्येक जिले के लिए 15 लाख रुपए की राशि की संस्वीकृति मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम0 अरूणाचलम): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश में 5 जिलों सहित इस समय देश में 76 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। यह निर्णय लिया गया है कि चालू परियोजनाओं के मूल्यांकन, जो पहले ही आरम्भ कर दिया गया है, के पश्चात् ही अतिरिक्त परियोजनाएं संस्वीकृत की जायेंगी।

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किए गए मजदूरों की श्रेणियां

2350. **श्री मोहम्मद आज़म खानः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के

अन्तर्गत किस-किस श्रेणी के मजदूरों को शामिल किया गया है;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत शेष मजदूरों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत शेष मजदूरों को न लाया जाना न्यायसंगत होगा?

श्रम मंत्री (श्री एम0 अरुणाचलम): (क) समुचित सरकारों द्वरा अधिसूचित किए गए अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लगू होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अधिनियम की अनुसूची में 68 नियोजन अधिसूचित किए है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए 68 अनुसूचित नियोजनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्र है। (नीचे देखिए)।

(ख) और (ग) यदि समुचित सरकार के विचार से ऐसे नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी चाहिए तो सरकार इस अधिनियम की धारा 27 के दृष्टिगत वर्तमान व्याप्ति को अन्य नियोजनों पर लागू कर सकती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में अधिसूचित किए गए अनुसूचित नियोजनों की सूची

क्रम सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम
भाग-I	
1.	खांडसारी
2.	ऊनी कम्बल बनाने वाले प्रतिष्ठान
3.	तम्बाकू (बीडी बनाने वाले कारखानों सहित
4.	ईंट भट्ठे
5.	हथकरघा उद्योग
6.	विद्युत करघा उद्योग
7.	चाय, सिनकोना, रबर और कॉफी बागान
8.	हथकरघा उद्योग (सिक की साडियों का बुनना) और जरी कार्य
9.	कांच की चूडी बनाने वाले उद्योग
10.	होटल और रेस्टोरेट
11.	कपड़ा धोने अथवा नहाने के साबुन अथवा सिलिकेट अथवा साबुन का पाउडर अथवा डिटरेजेंट निर्माण शाखाएं
12.	चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग
13.	कोई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
14.	दुकानें
15.	चर्मशोधन और धर्म विनिर्माणशाला
16.	रबर निर्माणशाला और रबर उत्पाद उद्योग (टायर, ट्यूब सहित)
17.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन उद्योग
18.	कनफेक्शनरी उद्योग
19.	शीतल पेय विनिर्माण
20.	फलों का जूस विनिर्माणशाला
21.	प्लाइवुड उद्योग
22.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प
23.	डेयरी, दुध की डेयरी
24.	रेडीमेंट गार्मेंट्स विनिर्माणशाला
25.	बांधों का निर्माण और रख रखाव, सिंचाई परियोजना, कुओं और तालाबों का खोदना
26.	सभी पंजीकृत कारखाने जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया
27.	निजी क्लीनिक और निजी दवा की दुकानें
28.	एलोपेथिक, आयुवेदिक और यूनानी फार्मेसियां
29.	प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, प्राईवेट स्कूल जिनमें नर्सरी स्कूल और उत्तर प्रदेश के निजी तकनीकी संस्थान शामिल है
30.	सड़क निर्माण अथवा रख-रखाव अथवा भवन निर्माण कार्य
31.	पत्थर तोड़ना अथवा पत्थर कूटना
32.	चिकन कार्य
33.	माचिस उद्योग
34.	आईस कैन्डी/आईसक्रीम कार्यशाला
35.	आईस विनिर्माणशाला
36.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला
37.	एसबेस्ट्स सीमेंत कारखाने और अन्य सीमेंट उत्पाद निर्माण
38.	लांड्री और धुलाई प्रतिष्ठान
39.	कांच उद्योग (कांच की चूडी बनाने के उद्योग के अलावा) और छोटे बल्ब उद्योग (क) छोटे बल्ब उद्योग (ख) कांच उद्योग
40.	स्ट्रा बोर्ड और पेपर बोर्ड विनिर्माणशाला
41	सिनेमा उद्योग

क्रम सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम
42.	जिल्दसाजी
43.	कपड़े की छपाई
44.	चावल मिल, आटा और दाल मिल
45.	तेल मिल
46.	दर्जी उद्योग
47.	कोल्ड स्टेरेज
48.	चीनी मिट्टी के बर्तन या प्रतिरक्षणशाला
49.	क्लब
50.	निजी छपाईखाना
51.	सार्वजानिक मोटर परिवहन
52.	यात्रिक परिवहन कार्यशालाएं
53.	आटोमोबाइल मरम्मत कार्यशाला
54.	लकडी कार्य और फर्नीचर
55.	कालीन बुनाई उद्योग
56.	हौजरी कार्य
57.	धातु विनिर्माणशालाएं
58.	50 से कम कर्मचारी नियोजित करने वाले इंजीनियरी उद्योग
59.	कोई भी ढलाईशाला
60.	टिन प्लेट शोर्पिंग और टिन प्रिंटिग
61.	अभ्रक उद्योग
62.	लाख उद्योग
63.	स्थानीय प्राधिकरण
64.	(क) पचास से पांच सौ कर्मचारी नियोजित करने वाले इंजीनियरी उद्योग (ख) पांच सौ और उससे अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले इंजीनियरी उद्योग
65.	वनस्पति तेल उद्योग
66.	निजी पुस्तकालय
	भाग –II
67.	कृषि में रोजगार
68.	वानिकी में रोजगार

Labour Movement in the Era of Liberalisation

2351. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Labour Movement of our country has been severely hit due to liberalisation policy;

(b) whether changing technology has also made labour the worst sufferers;

(c) whether labour in unorganised sector is being exploited badly;

(d) whether Government have no arrangements to impart training to the labour in the new technology;

(e) whether Government proposes to take some steps for welfare of labour in view of parts (a) to (d); and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No Sir.

(b) and (c) No Sir. Restructuring of industries is a natural phenomenon associated with industrial growth.

(d) to (f) No Sir, Government has established National Renewal Fund in 1992 to provide a social safety net for the workers affected by industrial restructuring, technology upgradation, modernisation of industries. It inter-aiia envisages assistance, counselling, retraining and redeployment of workers who may become redundant.

Sections Observing Guidelines in D.G.E.&T.

2352. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the reply given to Rajya Sabha Unstarred Question 1935 dated 1st August, 1996 and state:

(a) the Section in D.G.E.& T. which are observing those guidelines;'

(b) the names of those Sections which are looking after the administration relating work of the various subordinate offices;

(c) whether the guidelines are being observed in these Sections also; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The guidelines issued vide Para 22 of Manual of Office Procedure brought out in